

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 - 19/2019(2019/00156)

अनवान : -

रफी मोहम्मद पुत्र रमजान जाति कुम्हार निवासी झांसल तहसील भादरा



प्राथी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपरिस्थिति :- श्री बलवन्त सिंह प्रार्थी
राज पैरोकार अप्रार्थी

निर्णय


दिनांक : 19/02/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 106/103 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.279 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम रफी मोहम्मद की बजाए रफीक मोहम्मद दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड व वोटर लिस्ट इत्यादि में प्रार्थी का नाम रफी मोहम्मद दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है। इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत झांसल के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र भी जारी किया हुआ है जो असल ही संलग्न प्रार्थना पत्र किया जा रहा है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में रफी मोहम्मद की बजाए रफीक मोहम्मद दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम रफीक मोहम्मद के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम रफी मोहम्मद दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रफी मोहम्मद के स्थान पर रफीक मोहम्मद दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि सभी की सरकारी योजनाओं को ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम रफीक मोहम्मद दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा जारी की गई सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के चक 2 जेएसएल के खाता संख्या


उपखण्डाधिकारी (राजस्व),
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

106/103 में प्रार्थी का नाम रफी मोहम्मद दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नहीं होती है।


प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोक़ार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 106/103 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.279 हैक्टेयर में अपना नाम दुरुस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि "प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रफी मोहम्मद के स्थान पर रफीक मोहम्मद दर्ज हो गया।" जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये हैं जिनमें प्रार्थी का नाम रफी मोहम्मद अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा चक 2 जेएसएल के वर्तमान खाता सं 106/103 के मुरब्बा नम्बर 56 की कुल 0.279 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम "रफीक मोहम्मद के स्थान पर रफी मोहम्मद" दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए रफीक मोहम्मद पुत्र रमजान ही प्रभावी मानी जायेगी तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(रफीक मोहम्मद) (R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़